

पर्यावरण उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

तारीख 20/8/18

श्री सोहन लाल जोड़ा जी निवासी-गेजा तहसील-मांडल [वीर]

बनाम श्री सोहन लाल जोड़ा जी निवासी-गेजा तहसील-मांडल [वीर]

पार्श्व पत्र अन्वयेत धारा 111-128 एक्ट 1956

दिनांक - 11-9-18

पार्श्व की ओर से एक पार्श्व पत्र अन्वयेत धारा 111-128 एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर विवेदन किया कि गांव गेजा तहसील मांडल/गेजा में उसके खाते/सयुक्त खाते की आराजी नं. 378, 575, 1299 कुल कित्ता 03 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। बाद ग़रत भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी नं. के सीमा बिन्दु नहीं होने से आगे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमे पार्श्व अपने खाते/सयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत पार्श्व पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7.8.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि बाद ग़रत भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे कबजे की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निधोस्त किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश :

पार्श्व का पार्श्व पत्र धारा 111-128 एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर गांव गेजा तहसील मांडल/गेजा में स्थित आराजी नम्बर 378, 575, 1299 कुल कित्ता 03 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गेजा को 300/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिती को बनाये रखते हुये मुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/गेजा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, भीलवाड़ा